

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 258/2022(2022/695)

1. दानवीर सिंह चौहान पुत्र घीसू लाल जाति जीनगर निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर
—वादी

बनाम

1. भीना कुमारी पत्नि महेन्द्र कुमार खटीक निवासी महामंदिर तीसरी पोल शिवपुरी जोधपुर तहसील जोधपुर जिला जोधपुर
2. सत्यनारायण पुत्र बिरमा जाति रेगर निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर
3. तहसीलदार केकडी, तहसील केकडी जिला अजमेर राजस्थान

—प्रतिवादीगण

राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपरिथत:-

प्रार्थी वकील :- श्री योगेन्द्र सिंह

पेराकार सरकार :- जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 11/11/23


संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राज. काश्तकारी अधिनियम में वादवर्णित आराजीयात वाके करबा केकडी तहसील केकडी की जमाबंदी संवत 2069-72 के खाता संख्या नया पुराना 3098-1671 के खसरा नम्बर 2459 रकबा 1.03 हैक्ट. किस्म बाराणी 1 का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 20.10.2022 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार केकडी ने बटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

क. स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	भीना कुमारी पत्नि महेन्द्र कुमार जाति खटीक सा. महामंदिर तीसरी पोल शिवपुरी जोधपुर तह. जोधपुर खातेदार	2459/1	0.515	बा.1
		किता 1	रकबा 0.515 है0	
2	दानवीर सिंह पुत्र घीसूलाल जाति जीनगर सा. देह खातेदार	2459/2	0.24	बा.1
		किता 1	रकबा 0.24 है0	
3	सत्यनारायण पुत्र बिरमा जाति रेगर सा.देह खातेदार	2459/3	0.275	बा.1
		किता 1	रकबा 0.275 है0	

तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव मे वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा अलग-अलग रंग से चिन्हित किया गया है। तहसीलदार केकडी द्वारा अवगत कराया गया कि पक्षकारान दानवीर पुत्र घीसूलाल एवं सत्यनारायण पुत्र बिरमा मोकें पर उपरिथत रहे। वकील पक्षकारान को सुना गया।

वकील वादी ने वादपत्र मे अंकित कथनो को दोहराया। पक्षकारान ने मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अनुसार बटवारा किये जाने हेतु सहमति जाहिर की है।





उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दरतावेजात व तहसीलदार केकडी द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। अतः तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तावित बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर वादवर्णित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	मीना कुमारी पत्नि महेन्द्र कुमार जाति खटीक सा. महामंदिर तीसरी पोल शिवपुरी जोधपुर तह. जोधपुर खातेदार	2459/1	0.515	बा.1
		किता 1	रकबा 0.515 है०	
2	दानवीर सिंह पुत्र घीसूलाल जाति जीनगर सा. देह खातेदार	2459/2	0.24	बा.1
		किता 1	रकबा 0.24 है०	
3	सत्यनारायण पुत्र बिरमा जाति रेगर सा.देह खातेदार	2459/3	0.275	बा.1
		किता 1	रकबा 0.275 है०	

तहसीलदार केकडी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना -अपना वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (कडीमेर)



मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस.)
उनवान

1. दानवीर सिंह चौहान पुत्र धीरू लाल जाति जीनगर निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर ---वादी

बनाम

- मीना कुमारी पत्नि महेन्द्र कुमार खटीक निवासी महागंदिर तीसरी पोल शिवपुरी जोधपुर तहसील जोधपुर जिला जोधपुर
- सत्यनारायण पुत्र बिरमा जाति रेगर निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
- तहसीलदार केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा अन्तर्गत धारा 53,188 राज. काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर:- राजस्व वाद 258/2022 (2022/695)

निर्णय दिनांक:- 11.01.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रुबरु श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकड़ी बहाजिरी श्री योगेन्द्र सिंह वकील वादी, पैरोकार सरकार जयें तहसीलदार केकड़ी हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुकम दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53,188 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा रवीकार किया जाकर जमाबंदी संवत 2069-72 के खाता संख्या नया पुराना 3098-1671 के खसरा नम्बर 2459 रकबा 1.03 हैक्ट. किस्म बरानी 1 में निर्णय व प्रारम्भिक डिकरी दिनांक 20.10.2022 की पालना में तहसीलदार केकड़ी द्वारा निम्नानुसार बटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है-

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	मीना कुमारी पत्नि महेन्द्र कुमार जाति खटीक सा. महागंदिर तीसरी पोल शिवपुरी जोधपुर तह. जोधपुर खातेदार	2459/1	0.515	बा.1
		किता 1	रकबा 0.515 है0	
2	दानवीर सिंह पुत्र धीरूलाल जाति जीनगर सा. देह खातेदार	2459/2	0.24	बा.1
		किता 1	रकबा 0.24 है0	
3	सत्यनारायण पुत्र बिरमा जाति रेगर सा.देह खातेदार	2459/3	0.275	बा.1
		किता 1	रकबा 0.275 है0	


अतः उपरोक्तानुसार बटवारा रवीकार किया जाता है तहसीलदार केकड़ी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का अंतिम डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करे।

चीजमुबलिक.....बाबत.....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरहफीरादी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.01.2023 को जारी की गई।

मुहर


उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुद्दयलाह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वजह समूह			स्टाम्प वजह समूह		
महन्ताना बकील			महन्ताना बकील		
धर्चा गवाहन			धर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुगनामा			बाबत इजराय हुगनामा		
मुकफरिक	---	---	मुकफरिक	---	---
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिक्केन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

